न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी धोरीमना जिला बाड़मेर राजस्थान

पीठासीन अधिकारी :– श्री लाखाराम आर0 ए0 एस0

राजस्व वाद पत्र संख्या 112/2022

वादीगण

1. किशनलाल पुत्र गंगाराम
2. सुखराम पुत्र गंगाराम
   जाति जटिया निवासी लोहारवा पटवार क्षैत्र लोहारवा तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. सीतादेवी पत्नी गंगाराम उम्र 60 वर्ष
2. भीखाराम पुत्र गिरधारीराम उम्र 70 वर्ष
3. सुआदेवी पत्नी लिखमाराम उम्र 50 वर्ष
4. उदाराम पुत्र धर्माराम फौत के वारिशान
   4/1. अशोक पुत्र उदराम उम्र 25 वर्ष
   4/2. नानक पुत्र उदाराम उम्र 30 वर्ष
5. धाई पत्नी धुड़ाराम उम्र 70 वर्ष
6. प्रभूराम पुत्र धुड़ाराम उम्र 45 वर्ष
7. लीलाराम पुत्र धूड़ाराम फौत के वारिशान
   7/1. रमेश पुत्र लीलाराम उम्र 21 वर्ष
   7/2. सुशीला पत्नी लीलाराम उम्र 50 वर्ष
8. शंकराराम पुत्र धर्माराम उम्र 60 वर्ष
9. अमेदाराम पुत्र नारणाराम उम्र 70 वर्ष
10. ईमरती पत्नी अणदाराम उम्र 80 वर्ष
11. करनाराम पुत्र खुमाराम उम्र 55 वर्ष
12. केलीदेवी पत्नी भैराराम उम्र 50 वर्ष
13. केसाराम पुत्र शेराराम उम्र 70 वर्ष
14. गोमीदेवी पत्नी भलाराम उम्र 70 वर्ष
15. चेतनराम पुत्र नारणाराम उम्र 60 वर्ष
16. चुतराराम पुत्र अणदाराम उम्र 58 वर्ष
17. चम्पाराम पुत्र दीपाराम उम्र 40 वर्ष
18. जगाराम पुत्र अमराराम उम्र 80 वर्ष
19. जेठाराम पुत्र देवाराम फौत के वारिशान
    19/1. रेखाराम पुत्र जेठाराम उम्र 50 वर्ष
    19/2. उदाराम पुत्र जेठाराम फौत के वारिशान
        19/2/1. रामचन्द्र पुत्र उदाराम उम्र 35 वर्ष
        19/2/2. पांचाराम पुत्र उदाराम उम्र 32 वर्ष
        19/2/3. दमाराम पुत्र उदाराम उम्र 30 वर्ष
        19/2/4. लिछमणाराम पुत्र उदाराम उम्र 25
    19/3. करनाराम पुत्र जेठाराम उम्र 45 वर्ष
    19/4. दुर्गाराम पुत्र जेठाराम उम्र 42 वर्ष
20. जवाहरलाल पुत्र दीपाराम उम्र 35 वर्ष
21. जसाराम पुत्र दीपाराम उम्र 45 वर्ष
22. जसाराम पुत्र खुमाराम उम्र 45 वर्ष
23. डूंगराराम पुत्र अणदाराम उम्र 40 वर्ष
24. ताराराम पुत्र कुम्भाराम फौत के वारिशान
    24/1. तेजाराम पुत्र ताराराम उम्र 27 वर्ष
    24/2. गणपत पुत्र ताराराम उम्र 25 वर्ष
    24/3. चनणी पत्नी ताराराम उम्र 40 वर्ष
25. ताराराम पुत्र नारणाराम उम्र 65 वर्ष
26. नेमीचन्द पुत्र नारणाराम उम्र 50 वर्ष
27. पेमाराम पुत्र तुलछाराम उम्र 50 वर्ष
28. प्रकाशचन्द पुत्र भैराराम उम्र 25 वर्ष
29. बींजाराम पुत्र अमराराम उम्र 85 वर्ष
30. भगवानाराम पुत्र देवाराम उम्र 80 वर्ष
31. भूराराम पुत्र अमराराम फौत के कायम मुकाम
    31/1. भंवराराम पुत्र भूराराम उम्र 55 वर्ष
    31/2. जोधाराम पुत्र भूराराम उम्र 50 वर्ष
32. भूराराम पुत्र शेराराम उम्र 80 वर्ष
33. [illegible] उम्र 40 वर्ष
34. [illegible] अणदाराम उम्र 65 वर्ष
35. [illegible]राम [illegible] कुम्भाराम उम्र 60 वर्ष
36. [illegible]
37. रावता[illegible] अणदाराम उम्र 57 वर्ष
38. [illegible] उम्र 40 वर्ष
39. [illegible] पुत्र अमराराम उम्र 75 वर्ष
40. हीरा[illegible] दीपाराम उम्र 80 वर्ष जाति [illegible] निवासी लोहारवा पटवार क्षैत्र लोहारवा तहसील धोरी[illegible]
41. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार धोरीमना

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.06 13:43:12 IST
Reason: SelfAttested

27/10/23
सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 (छ), 40, 188 व 209 रा0का0 अधि0 वास्ते नाम दुरूस्त की घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा

तारीख रजू. 12/12/22

अधिवक्ता :– श्री देवाराम चौधरी अधिवक्ता

– : : निर्णय : : –

दिनांक 27/10/23

वाद का संक्षेप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद **अन्तर्गत धारा 88, 89 (छ), 40, 188 व 209 रा0का0 अधि0 वास्ते नाम दुरूस्त की घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा** पेश कर निवेदन हैं कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 से 40 तक की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि तहसील धोरीमना पटवार मण्डल लोहारवा के ग्राम लोहारवा खेत खसरा नम्बर 446 क्षेत्रफल 3.4479 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम, खसरा नम्बर 689 क्षेत्रफल 1.7482 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम, खसरा नम्बर 426 क्षेत्रफल 22.0391 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम का आया हुआ है। जिसको वाद के आगामी पदो मे विवादित आराजी से सम्बोधित किया जावेगा। वादीगण ग्राम लोहारवा पटवार क्षेत्र लोहारवा तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर के मूल निवासी है कृषि भूमि ग्राम लोहारवा में स्थित है। वर्तमान में धोरीमना आबादी भूमि में निवासरत है। विवादित आराजी वादीगण की पैतृक व पुस्तैनी सम्पति है वादीगण के पिता व प्रतिवादी संख्या 01 के पति '' **गंगाराम पुत्र प्रहलादराम**'' के नाम थी गंगाराम पुत्र प्रहलादराम फौत होने से वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुआ था। वक्त दर्ज में **''किशनलाल पुत्र गंगाराम के स्थान पर बाबूलाल पुत्र गंगाराम व सुखराम पुत्र गंगाराम के स्थान पर कालूराम पुत्र सुखराम''** दर्ज कर दिया गया था। वक्त फौतेदगी नामान्तकरण के समय वादीगण नाबालिंग थे, वादीगण की माता व अन्य सह खातेदार देखरेख करते थे वादीगण नाबालिंग होने के कारण वादीगण को दो नामों से जानते थे गंगाराम पुत्र प्रहलादराम फौतेदगी नामान्तकरण करते समय राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों के कार्य अधिकता, मानवीय भूल, आनन–फानन, से राजस्व रिकॉर्ड वादग्रस्त आराजी में **''किशनलाल पुत्र गंगाराम के स्थान पर बाबूलाल पुत्र गंगाराम व सुखराम पुत्र गंगाराम के स्थान पर कालूराम पुत्र सुखराम''** लिखा दिया जो गलत व माननीय भूल के कारण नामान्तकरण व जमाबन्दी में लिखा गया था। वादग्रस्त आराजी तहसील धोरीमना पटवार मण्डल लोहारवा के ग्राम लोहारवा खेत खसरा नम्बर 446 क्षेत्रफल 3.4479 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम, खसरा नम्बर 689 क्षेत्रफल 1.7482 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम, खसरा नम्बर 426 क्षेत्रफल 22.0391 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम में वादीगण वादग्रस्त आराजी में वक्त नामान्तकरण से अलग [illegible] काबिज काश्त हैं एवम् अलग–अलग ढाणियां, टांके, चारबाड़े,पशुबाड़ा आदि बने [illegible] खातेदारी भूमि में अपने– अपने हिस्से में प्राकृतिक पैदावार लेते आ रहे है, इसलिए [illegible] आराजी में **वादीगण का नाम ''बाबूलाल पुत्र गंगाराम के स्थान पर किशनलाल पुत्र गंगाराम व कालूराम पुत्र गंगाराम के स्थान पर सुखराम पुत्र गंगाराम''** [illegible] दर्ज करवाने का अधिकारी हैं इस हेतु घोषणा का वाद श्रीमान् के समक्ष पेश है। उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर तहसील धोरीमना पटवार मण्डल लोहारवा के ग्राम लोहारवा खेत खसरा नम्बर 446

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.06 13:43:12 IST
Reason: SelfAttested

27/10/23

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना

क्षेत्रफल 3.4479 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम, खसरा नम्बर 689 क्षेत्रफल 1.7482 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम, खसरा नम्बर 426 क्षेत्रफल 22.0391 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम राजस्व रेकर्ड/जमाबन्दी खाते में नाम **''बाबूलाल पुत्र गंगाराम के स्थान पर किशनलाल पुत्र गंगाराम व कालूराम पुत्र गंगाराम के स्थान पर सुखराम पुत्र गंगाराम'' खातेदारी** में घोषित करवाने का अधिकारी हैं इसी अनुसार स्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकारी है इसलिए स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पेश है। बिनायदावा बमुकाम ग्राम लोहारवा पटवार क्षैत्र लोहारवा तहसील धोरीमना में जब फौतेदगी नामान्तकरण में दर्ज किया तब, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा0भू–राजस्व अधिनियम का पेश किया तब, श्रीमान्जी द्वारा मौखिक रूप से वाद पेश करने को कहा तब तब उपर वर्णित तथ्यों के आधार पर वाद कारण पैदा हुआ हैं वाद अन्दर म्याद पेश है। भूमिपति राज्य सरकार के प्रतिनिधि तहसीलदार धोरीमना को औपचारिक पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादी संख्या 01 से 40 तक सह खातेदार होने से पक्षकार बनाया है जिनके खिलाफ कोई इस्तदुआ नहीं चाही गई है। यह राजस्व वाद धारा 88, 89 (छ), 40, 188 व 209 रा0का0 अधि0 के तहत होने से निश्चित कोर्ट फीस रूपये 5/– के स्टाम्प पेश है। वादग्रस्त कृषि भूमि ग्राम लोहारवा पटवार क्षैत्र लोहारवा तहसील धोरीमना में स्थित होने से एवं वादकारण ग्राम लोहारवा पटवार क्षैत्र लोहारवा में उत्पन्न होने से यह वाद माननीय न्यायालय के आर्थिक व स्थानीय क्षेत्राधिकार का है और अन्दर म्याद पेश है। वादीगण की इस्तदुआ निम्नांकित हैं जो वादीगण के पक्ष में सादिर फरमाई जावें A वादग्रस्त आराजी तहसील धोरीमना पटवार मण्डल लोहारवा के ग्राम लोहारवा खेत खसरा नम्बर 446 क्षेत्रफल 3.4479 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम, खसरा नम्बर 689 क्षेत्रफल 1.7482 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम, खसरा नम्बर 426 क्षेत्रफल 22.0391 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम में वादीगण का नाम **''बाबूलाल पुत्र गंगाराम के स्थान पर किशनलाल पुत्र गंगाराम व कालूराम पुत्र गंगाराम के स्थान पर सुखराम पुत्र गंगाराम''** राजस्व रिकार्ड मे खातेदार व काश्तकार घोषित किया जावें। B आधार कार्ड, परिचय पत्र आदि के अनुसार वादग्रस्त आराजी में **''बाबूलाल पुत्र गंगाराम के स्थान पर किशनलाल पुत्र गंगाराम व कालूराम पुत्र गंगाराम के स्थान पर सुखराम पुत्र गंगाराम''** नाम दुरूस्त किया जाएं। C. वादपत्र में वर्णित पैरा संख्या 07 अनुसार स्थायी निषेधाज्ञा घोषित की जाए। D. वाद का खर्चा वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे। E- अन्य सहायता जो वाद की जांच से वादीगण के पक्ष में प्रमाणित हो वो वादीगण को दिलवाई जावे और धारा 209 रा0का0 अधि0, सपठित आदेश 7 नियम 7 व सपठित धारा 151 सीपीसी के तहत वादी इस्तदुआ प्राप्त करने का हकदार बनता हो वो दिलवाई जावे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण को जरिये रजि0 नोटिस से तलब किया गया।

प्रतिवादी संख्या 01, 13, 18 व 35 ने अपना ईकबालिया जबाब प्रस्तुत किया, ईकबाली जबाब में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जा[illegible]तिवादीगण को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी का[illegible] किया गया हैं शेष प्रतिवादीगण बावजुद सम्यक तामील के अनुपस्थित रहने के [illegible] उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा पत्रावली को साक्ष्य वादी में नियत किया। साक्ष्य वादी के दौरान जमाबन्दी ग्राम लोहारवा के खाता संख्या 20 प्रदर्श पी–01, जमाबन्दी ग्राम लोहारवा के खाता संख्या 21 प्रदर्श पी–02. जमाबन्दी ग्राम लोहारवा के

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.06 13:43:12 IST
Reason: SelfAttested

27/10/23
सहायक कलक्टर
(SDO) धोरीमना

खाता संख्या 19 प्रदर्श पी–03, वादी संख्या 01 का आधार कार्ड प्रदर्श 4ए, वादी संख्या 02 का आधार कार्ड प्रदर्श 5ए किया गया। साक्ष्य वादी सुखराम के शपथ पत्र को प्रदर्श पी डब्ल्यू 01 एवं वादी किशनालाल के शपथ पत्र को प्रदर्श पी डब्ल्यू 02, अंकित किया गया तथा इनके बयान कलमबद्ध करवाये गये। पत्रावली पर वादीगण अधिवक्ता द्वारा ओर साक्ष्य पेश नहीं करने का कथन करने पर पत्रावली पर साक्ष्य वादी बंदी किया की जाती है। पत्रावली पर अंकित किया कि प्रतिवादी साक्ष्य नही करवाना चाहते है। प्रतिवादी साक्ष्य बन्द की जाकर प्रकरण को सीधे बहस में नियत किया गया।

हमने विद्वान अधिवक्ता वादीगण की बहस को विस्तारपूर्वक सुना एवम् पत्रावली, वादपत्र, प्रदर्शित दस्तावेजों इत्यादि का गहनतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। हमने प्रदर्श राजस्व रेकर्ड जमबन्दी प्रदर्श पी0 01, प्रदर्श पी 02, प्रदर्श 03 तथा दस्तावेजात् प्रदर्श पी 4ए, प्रदर्श पी5ए, एवम् शपथ पत्र प्रदर्श पी–डब्ल्यू 01, प्रदर्श पी– डब्ल्यू 02 का अध्ययन से स्पष्ट हैं कि वादग्रस्त आराजी में **बाबूलाल पुत्र गंगाराम के स्थान पर किशनलाल पुत्र गंगाराम व कालूराम पुत्र गंगाराम के स्थान पर सुखराम पुत्र गंगाराम" किया जाना हम उचित एवं विधि संगत समझते है।**

–:: आदेश::–

अतः वादीगण की इस्तदुआ स्वीकार की जाकर निर्णय व डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की जाती है कि वादीगण व प्रतिवादीगण संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि तहसील धोरीमना पटवार मण्डल लोहारवा के ग्राम लोहारवा खेत खसरा नम्बर 446 क्षेत्रफल 3.4479 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम, खसरा नम्बर 689 क्षेत्रफल 1.7482 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम, खसरा नम्बर 426 क्षेत्रफल 22. 0391 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम में **''बाबूलाल पुत्र गंगाराम के स्थान पर किशनलाल पुत्र गंगाराम व कालूराम पुत्र गंगाराम के स्थान पर सुखराम पुत्र गंगाराम' राजस्व अभिलेख में दुरूस्त करने का आदेश दिया जाता है। उसी अनुसार तहसीलदार धोरीमना को राजस्व अभिलेख में नामान्तकरण करने आदेश दिया जाता है। डिक्री पृथक से बनाई जाकर सामिल मिसल हो। तहसीलदार धोरीमना निर्णय व डिक्री की पालना करें।** पत्रावली संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

27/10/23

(लाखाराम RAS)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, धोरीमन्ना
(जिला–बाड़मेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.06 13:43:12 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक–27/10/23**........ को खुले–इजलास में सुनाया गया।**

27/10/23

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, धोरीमन्ना

डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी मुकान धोरीमना

बइजलास :– श्री लाखाराम आर0 ए0 एस0

वादीगण — बनाम — **प्रतिवादीगण**

वादीगण

1. किशनलाल पुत्र गंगाराम
2. सुखराम पुत्र गंगाराम
   जाति जटिया निवासी लोहारवा पटवार क्षेत्र लोहारवा तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. सीतादेवी पत्नी गंगाराम उम्र 60 वर्ष
2. भीखाराम पुत्र गिरधारीराम उम्र 70 वर्ष
3. सुआदेवी पत्नी लिखमाराम उम्र 50 वर्ष
4. उदाराम पुत्र धर्माराम फौत के वारिशान
   4/1. अशोक पुत्र उदराम उम्र 25 वर्ष
   4/2. नानक पुत्र उदाराम उम्र 30 वर्ष
5. धाई पत्नी धुड़ाराम उम्र 70 वर्ष
6. प्रभूराम पुत्र धुड़ाराम उम्र 45 वर्ष
7. लीलाराम पुत्र धूड़ाराम फौत के वारिशान
   7/1. रमेश पुत्र लीलाराम उम्र 21 वर्ष
   7/2. सुशीला पत्नी लीलाराम उम्र 50 वर्ष
8. शंकराराम पुत्र धर्माराम उम्र 60 वर्ष
9. अमेदाराम पुत्र नारणाराम उम्र 70 वर्ष
10. ईमरती पत्नी अणदाराम उम्र 80 वर्ष
11. करनाराम पुत्र खुमाराम उम्र 55 वर्ष
12. केलीदेवी पत्नी भैराराम उम्र 50 वर्ष
13. केसाराम पुत्र शेराराम उम्र 70 वर्ष
14. गोमीदेवी पत्नी भलाराम उम्र 70 वर्ष
15. चेतनराम पुत्र नारणाराम उम्र 60 वर्ष
16. चुतराराम पुत्र अणदाराम उम्र 58 वर्ष
17. चम्पाराम पुत्र दीपाराम उम्र 40 वर्ष
18. जगाराम पुत्र अमराराम उम्र 80 वर्ष
19. जेठाराम पुत्र देवाराम फौत के वारिशान
   19/1. रेखाराम पुत्र जेठाराम उम्र 50 वर्ष
   19/2. उदाराम पुत्र जेठाराम फौत के वारिशान
      19/2/1. रामचन्द्र पुत्र उदाराम उम्र 35 वर्ष
      19/2/2. पांचाराम पुत्र उदाराम उम्र 32 वर्ष
      19/2/3. दमाराम पुत्र उदाराम उम्र 30 वर्ष
      19/2/4. लिछमणाराम पुत्र उदाराम उम्र 25
   19/3. करनाराम पुत्र जेठाराम उम्र 45 वर्ष
   19/4. दुर्गाराम पुत्र जेठाराम उम्र 42 वर्ष
20. जवाहरलाल पुत्र दीपाराम उम्र 35 वर्ष
21. जसाराम पुत्र दीपाराम उम्र 45 वर्ष
22. जसाराम पुत्र खुमाराम उम्र 45 वर्ष
23. डूंगराराम पुत्र अणदाराम उम्र 40 वर्ष
24. ताराराम पुत्र कुम्भाराम फौत के वारिशान
   24/1. तेजाराम पुत्र ताराराम उम्र 27 वर्ष
   24/2. गणपत पुत्र ताराराम उम्र 25 वर्ष
   24/3. चनणी पत्नी ताराराम उम्र 40 वर्ष
25. ताराराम पुत्र नारणाराम उम्र 65 वर्ष
26. नेमीचन्द पुत्र नारणाराम उम्र 50 वर्ष
27. पेमाराम पुत्र तुलछाराम उम्र 50 वर्ष
28. प्रकाशचन्द पुत्र भैराराम उम्र 25 वर्ष
29. बींजाराम पुत्र अमराराम उम्र 85 वर्ष
30. भगवानाराम पुत्र देवाराम उम्र 80 वर्ष
31. भूराराम पुत्र अमराराम फौत के कायम मुकाम
   31/1. भंवराराम पुत्र भूराराम उम्र 55 वर्ष
   31/2. जोधाराम पुत्र भूराराम उम्र 50 वर्ष
32. [illegible] 60 वर्ष
33. भागी[illegible]साराम उम्र 40 वर्ष
34. मघ[illegible] पुत्र अ[illegible]म उम्र 65 वर्ष
35. मिसराराम [illegible]राम उम्र 60 वर्ष
36. रमेशकुमा[illegible]मराराम उम्र 22 वर्ष
37. [illegible] पुत्र [illegible] उम्र 37 वर्ष
38. [illegible]राम उम्र 40 वर्ष
39. सोनाराम पुत्र अमराराम उम्र 75 वर्ष
40. हीरों पत्नी दीपाराम उम्र 80 वर्ष जाति जटिया निवासी लोहारवा पटवार क्षैत्र लोहारवा तहसील धोरीमना
41. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार धोरीमना

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.06 13:43:12 IST
Reason: SelfAttested

27/10/23

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना

वाद संख्या :– 112/2022

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 (छ), 40, 188 व 209 रा0का0 अधि0 वास्ते नाम दुरूस्त की घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित अधिवक्ता :– श्री देवाराम चौधरी वादीगण

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल फतई रू–ब–रू. पक्षकारान् व हाजरी मिनजानिब मुदई वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की जाती हैं कि वादीगण व प्रतिवादीगण संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि तहसील धोरीमना पटवार मण्डल लोहारवा के ग्राम लोहारवा खेत खसरा नम्बर 446 क्षेत्रफल 3.4479 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम, खसरा नम्बर 689 क्षेत्रफल 1.7482 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम, खसरा नम्बर 426 क्षेत्रफल 22.0391 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम में ''**बाबूलाल पुत्र गंगाराम के स्थान पर किशनलाल पुत्र गंगाराम व कालूराम पुत्र गंगाराम के स्थान पर सुखराम पुत्र गंगाराम' राजस्व अभिलेख में दुरूस्त करने का आदेश दिया जाता है। उसी अनुसार तहसीलदार धोरीमना को राजस्व अभिलेख में नामान्तकरण करने आदेश दिया जाता है। तहसीलदार धोरीमना निर्णय व डिकरी की पालना करें।**

नीज .... मबलिग .... बाबत .... खर्चा। इस मुकदमे के मय सुद व शरह .... फीस सदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूल याबी तक .... को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 27/10/23 को सरे ईजलास जारी किया गया।

27.10.23

(लाखाराम RAS)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, धोरीमन्ना
(जिला–बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.06 13:43:12 IST
Reason: SelfAttested